रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 1987/वैशाख 18, 1909
NO. 99] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 1987/VAISAKHA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 177 आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 8 मई, 1987

विषय :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

फा. सं. आई. पी. सी./4/10/30/733/79-80 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1—आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985-के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	
1	2	3	4
1	154	परिशिष्ट—5 सारणीबद्ध मदें भाग—क प्रविष्टि संख्या—32 क "निम्नलिखित मसाले :— (1) दालचीनी/तेजपात (2) लौंग"	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।
2	158	परिशिष्ट—5 सारणीबद्ध मदें भाग—ख	वर्तमान मद संख्या 10 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(1) दालचीनी/तेजपात (2) लौंग II. दालचीनी/तेजपात तथा लौंग के मामले में आयात केवल भारतीय व्यापार निगम व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार द्वारा इसके पक्ष में रिहा की गई विदेशी मुद्रा विनिमय

1	2	3	4
			के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के मद्दे किया जाएगा। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की संबंधित नीति के अनुसार आयात वितरण और मूल्य निर्धारण किया जाएगा।"

3. आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

मंजुला सुब्राह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 177—ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 8th May, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

F. No. IPC/4/10 (30)/733/79-80.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985-88 (Volume 1)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	154	APPENDIX 5 CANALISED ITEMS PART-A Entry No. 32A "Spices, the following : (i) Cinnamon/Cassia. (ii) Cloves."	This entry shall be deleted.
2.	158	APPENDIX 5 CANALISED ITEMS PART-B	After the existing item No. 10, the following shall be added :– "(i) CINNAMON/CASSIA, and (ii) CLOVES. 11. In the case of Cinnamon / Cassia and Cloves, the import will be made only by the State Trading Corporation (STC), New Delhi, under Open General Licence on the basis of foreign exchange released by the Government in its favour. Imports, distribution and pricing will be made by the STC as per the connected policy of Government in the Ministry of Commerce."

3. The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

Sd/-

R.L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987